OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से न्यायालय द्वारा जान से मारने की नीयत से गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्तों को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 6500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews

https://linktr.ee/mediacellbahraich

जानलेवा हमले के दो दोषियों को छह-छह साल की सजा

बहराइच। हरदी थाना क्षेत्र के पिपरी मोहन निवासी मस्तराम पर बीते 11 मई, 2018 की शाम हरीराम, चेतराम, प्रदीप, राजू ने हमला कर दिया था। इस दौरान मस्तराम के भतीजे विनोद व भाई रामकुमार पर चाकू, छुरी व कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए एएसजेएफटीसी न्यायालय - द्वितीय ने प्रदीप व हरीराम को दोष सिद्ध पाते हुए छह-छह वर्ष कारावास व 6500 रुपये आर्थिक दंड लगाया है। (संवाद)

घर में घुसकर हत्या के प्रयास में दो को छह साल की सजा

जासं • बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार ने घर में घुसकर हत्या के प्रयास करने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए छह-छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर साढ़े छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध सुनील कुमार जायसवाल मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि मामला हरदी थाना के पिपरीमोहन गांव का है। 11 मई 2018 की शाम को साढ़े सात बजे मस्तराम अपने घर में भाई रामकुमार व भतीजे विनोद के साथ आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी आरोपित प्रदीप, राजू, हरीराम यह कहते हुए अंदर घुस आए कि तुम मेरे खिलाफ शिकायत करते हो, आज तुमको जान से मार देंगे। चाकू व कुल्हाड़ी से मेरे भतीजे व भाई को मारकर घायल कर दिया। भतीजे विनोद के पेट की आंत बाहर निकल आई। भाई के हाथ व पेट में कुल्हाड़ी की चोटें आईं और मुझे भी लाठी की चोटें आईं। पुलिस ने इस मामले में मस्तराम की तहरीर के आधार पर हरीराम, चेतराम, प्रदीप व राजू के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपित चेतराम को अपराध में शामिल नहीं पाया गया। आरोपित प्रदीप, राजू व हरीराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। विचारण के दौरान आरोपित राजू की मौत हो गई, जिससे उनका मुकदमा समाप्त कर दिया गया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित प्रदीप व हरीराम को घर में घुसकर हत्या के प्रयास करने व जानमाल की धमकी देने के मामले में छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

BAHRAICH POLICE
24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich